ई–मेल

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

संख्या–672 कं0से0 / 2016–19कं0से0(सारथी) / 2007–III लखनऊः दिनांकःअगस्त 10 ,2017

सेवा में,

1. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उत्तर प्रदेश।

विषयः– सारथी एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक (Thumb Impression) कैप्चरिंग को स्थानीय स्तर पर सारथी डाटाबेस में रखे जाने को आधार एक्ट के प्राविधानों के अनुसार विधि सम्मत नहीं होना बताये जाने के कारण उक्त व्यवस्था को discontinue करने के संबंध में।

कृपया निदेशक (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या– RT-11036/27 /2017-MVL दिनांक 27.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें ड्राईविंग लाइसेंस से संबंधित सारथी एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक (Thumb Impression) कैप्चरिंग को स्थानीय स्तर पर सारथी डाटाबेस में रखे जाने को आधार एक्ट के प्राविधानों के अनुसार विधि सम्मत नहीं होना बताया गया है।

2. अतः उक्त पत्र में इस व्यवस्था को discontinue करते हुए आधार बेस्ड Authentication System पर शीघ्रातिशीघ्र जाने का परामर्श दिया गया है तथा जिन स्थितियों में आधार नम्बर उपलब्ध न हो, वहां अन्य वैकल्पिक फिजिकल डाक्यूमेंट के आधार पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था बनाये जाने को कहा है।

3. भारत सरकार के उक्त पत्र के क्रम में प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में लर्नर लाइसेंस एवं ड्राईविंग लाइसेंस आवेदन के समय बायोमेट्रिक (Thumb Impression) कैप्चरिंग की वर्तमान में लागू व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से discontinue किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः निर्देशित किया जाता है कि एनआईसी के साथ समन्वय कर लाइसेंस आवेदन के समय बायोमेट्रिक (Thumb Impression) कैप्चरिंग की वर्तमान में लागू व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से discontinue किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा जब तक आधार बेस्ड Authentication System की व्यवस्था सारथी अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एनआईसी द्वारा प्राविधानित नहीं कर दी जाती है, तब तक अन्य वैकल्पिक फिजिकल डाक्यूमेंट के आधार पर वेरिफिकेशन पूर्ण किया जाय।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(पी0 गुरू प्रसाद)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ0संख्या– 672 (1)कं0से0 / 2013–समदिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2– अपर परिवहन आयुक्त (पूवी / मध्य / पश्चिमी), उ0प्र0।
3– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
4– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) / समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
5– श्री जॉय दीप शोम, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर एवं एच0ओ0डी0, ट्रान्सपोर्ट एमएमपी, एन0आई0सी0, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि सारथी अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आधार बेस्ड Authentication की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कराने का कष्ट करें।
6– डॉ0 एल0आर0 यादव, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।

(पी0 गुरू प्रसाद)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।